

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(सामान्य वित्तीय एवं लेखा अनुभाग)

क्रमांक: प.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 पार्ट

जयपुर, दिनांक 20.05.2020

समस्त लेखा संवर्ग के अधिकारी,
समस्त उपापन संस्था/स्टेक होल्डर्स/आमजन


विषय:- ड्राफ्ट स्टेण्डर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स के अंतिम प्रारूप पर सुझाव/राय आमंत्रण बाबत।
संदर्भ:- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 29.04.2020

महोदय,

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के तहत तैयार किये गये ड्राफ्ट स्टेण्डर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को अंतिम रूप दिये जाने हेतु विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 29.04.2020 द्वारा आपके सुझाव आमंत्रित किये गये थे।


निर्देशानुसार उक्त ड्राफ्ट स्टेण्डर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स के संबंध में आपके सुझाव/राय/टिप्पणी प्रस्तुत करने की अवधि 15 दिवस बढ़ायी जाती है।

भवदीय


(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
2. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
3. समस्त विभागाध्यक्ष।
4. समस्त कार्यकारी अधिकारी, निगम, बोर्ड एवं राजकीय उपक्रम।
5. निदेशक तकनीकी (कम्प्यूटर सैल) वित्त विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इसका प्रकाशन वित्त विभाग की वेबसाईट पर करवाने की व्यवस्था करावे।


(राम गोपाल पारीक) 20.5.2020
वित्तीय सलाहकार